राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
आयुक्तः खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग
के.ब्लाक विकास भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली- 110002

सार्वजनिक सूचना

1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा पात्र परिवारों की पहचान हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये हैं जिसकी प्रति विभाग के मंडल कार्यालयों पर उपलब्ध है एवं विभाग की बेवसाईट (http://fs.delhigovt.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित चार श्रेणी के कार्डधारियों को, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन प्राप्त कर रहे हैं, पात्र माना गया है:-

i- अंत्योदय अन्न योजना(AAY)

ii- बी.पी.एल.(BPL)

iii- ए.पी.एल. झुग्गी राशनकार्ड(APL JRC)

iv- ए.पी.एल. रिसेटेलमेंट कालोनी राशनकार्ड(APL RCRC)

2- उपरोक्त पात्र परिवारों की सूची एवं विवरण विभाग की बेवसाईट http://fs.delhigovt.nic .in), संबंधित मंडल कार्यालय एवं उचित दर दुकानों पर उपलब्ध है।

3- उपरोक्त विवरण के संदर्भ में यदि किसी भी नागरिक को, किसी व्यक्ति या परिवार का नाम पात्रता सूची में जोड़ने/हटाने संबंधी कोई भी आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत लिखित रूप में संबंधित खाद्य संभरण अधिकारी के पास दिनांक 2/08/2013 सायं 5 बजे तक कर सकता है।

कृते/

आयुक्त(खाद्य एवं आपूर्ति)

दिनांक 26/07/2013